



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101

वेबसाइट: www.hpdaonline.in मेल: hpda\_1@rediffmail.com

पत्रांक 743 /अधी0 अभि0/एच0पी0डी0ए0/2024

दिनांक: 02-02-24

## अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों (विशिष्ट श्रेणी छोड़कर) से सपटित नियम व शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु टू-बिड सिस्टम पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनु. धनराशि (रु. लाख में)	निविदा मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	कार्यावधि	पंजीकरण श्रेणी	ई-निविदा डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	ई-निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोले जाने की तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आनन्द विहार योजना के ब्लॉक-जी का अवशेष आंतरिक विकास कार्य	477.97	5900.00	1256000.00	12 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
2	आनन्द विहार योजना स्थित खसरा सं०-647ए 604ए 644 एवं 607 ग्राम चमरी से प्रभावित सड़क सं०-5 व 2 का अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	419.52	5900.00	1139100.00	12 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
3	टैक्सटाईल सेंटर योजना में सी.टी. ए. से सी.ई.टी.पी. तक के सामने तथा सी.ई.टी.पी. से भूखण्ड सं०-डब्लू 26 तक मुख्य सड़क के सुदृढीकरण का कार्य।	295.14	5900.00	890300.00	2 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
4	टैक्सटाईल सेंटर योजना में एन.एच. 9 से सी.टी.ए. तक की मुख्य सड़क के सुदृढीकरण का कार्य।	265.71	5900.00	831500.00	2 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
5	आनन्द विहार आवासीय योजना में खसरा सं० 647 ग्राम चमरी से प्रभावित भूखण्डों का आन्तरिक विकास कार्य।	250.81	5900.00	801700.00	9 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
6	टैक्सटाईल सेंटर योजना में आंतरिक सड़कों के सुदृढीकरण का कार्य।	207.58	5900.00	715200.00	2 माह	विशिष्ट श्रेणी सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
7	आनन्द विहार आवासीय योजना के 'एल' ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के निकट नियोजित भूखण्डों का आन्तरिक विकास कार्य।	76.08	3540.00	380400.00	6 माह	(ए) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
8	प्रीत विहार द्वितीय में पार्कों का निर्माण कार्य।	29.88	2360.00	149400.00	6 माह	(बी) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
9	टैक्सटाईल सेंटर योजना में भूखण्ड संख्या-पी,127 से सीपी-10 तक के	9.53	590.00	47700.00	2 माह	(डी) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM




	सामने वाली सड़क के पर इंटरलॉकिंग का कार्य।								
10	प्रीत विहार विस्तार में क्षतिग्रस्त क्लवर्ट का निर्माण कार्य।	3.66	590.00	18300.00	3 माह	(डी) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
11	प्रीत विहार आवासीय योजना के ब्लॉक बी में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के सामने बने पार्क की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल की मरम्मत का कार्य।	2.39	590.00	12000.00	1 माह	(डी) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
12	प्रीत विहार आवासीय योजना प्रथम के डी ब्लॉक में भूखण्डों को मैन सीवर लाईन से जोड़ने का कार्य।	1.13	590.00	5700.00	1 माह	(डी) सिविल	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
13	आनन्द विहार योजना में निर्मित कालिन्दी अपार्टमेन्ट के भवनों में लिफ्ट, पानी सप्लाय पम्प व कामन पैसेज लाईट आदि हेतु एल0टी0 एवं निर्माण कार्य एवं पार्क की पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु एक 10मी0 हाईमास्ट लगाने का कार्य।	63.05	3540.00	315300.00	6 माह	विशिष्ट श्रेणी (विद्युत)	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
14	प्रीत विहार आवासीय योजना प्रथम के नवनिर्मित पॉकेट-जे के आवासीय भूखण्डों एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के सम्मुख व्यवसायिक भूखण्डों हेतु वाहय विद्युतिकरण का एवं पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	52.66	3540.00	263300.00	6 माह	विशिष्ट श्रेणी (विद्युत)	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
15	आनन्द विहार योजना के पॉकेट-एच में 33 के0वी0 सब-स्टेशन के निकट नवनिर्मित अवशेष आवासीय भूखण्डों का वाहय विद्युतीकरण का कार्य।	21.79	2360.00	109000.00	6 माह	विशिष्ट श्रेणी (विद्युत)	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
16	आनन्द विहार योजना के ब्लॉक-एल में जिलाधिकारी कार्यालय के निकट ग्रीन आर्केड व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में एच0टी0 एल0टी0 कनेक्शन का कार्य।	26.02	2360.00	130100.00	4 माह	विशिष्ट श्रेणी (विद्युत)	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM
17	प्राधिकरण कार्यालय प्रयोग हेतु वाहनों को किराये/अनुबन्ध पर आपूर्ति का कार्य।	—	1180.00	100000.00	12 माह	—	05.02.2024	14.02.2024 03:00 PM	14.02.2024 04:00 PM

### नियम व शर्तें:-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
- समस्त निविदाएं टू-बिड सिस्टम पर आमंत्रित है। तदक्रम में निविदादाता से यह अपेक्षा है कि वह टेण्डर डॉक्यूमेन्ट का भंलि-भांति अध्ययन कर लें तथा प्री-क्वालीफिकेशन हेतु मांगे गये समस्त प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

4. निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित नियम व शर्त वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
5. टेण्डर डॉक्यूमेंट-T-2 के पृष्ठ सं०-20 के प्रस्तर सं०-76 में एडीशनल परफॉर्मन्स गारण्टी के रूप में बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगी, शेष नियम व शर्त यथावत रहेंगी।
6. विशिष्ट श्रेणी कार्यो हेतु पंजीकरण की बाध्यता नहीं है, परन्तु निविदादाता किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/विकास प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा विद्युत कार्यो के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा लखनऊ द्वारा निर्गत 'क' श्रेणी का लाईसेंस धारक होना अनिवार्य है। 33के०वी० विद्युत कार्य हेतु 'क' श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाईसेंस धारक के निविदा पर ही विचार किया जायेगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध से पूर्व 15 दिन के अन्दर अपनी फर्म को हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. क्रमांक 02, 03, 04 एवं 06 पर अंकित बी०एम० व बी०सी० के कार्य हेतु कार्य स्थल से 50 किमी० के अन्दर स्थित हॉटमिक्स प्लान्ट होना अनिवार्य है, एवं समान प्रकृति का अनुभव होना अनिवार्य है।
8. प्रदूषण के नियंत्रण हेतु एन.जी.टी. की गार्ड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. श्रम विभाग, हापुड़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा एवं उक्त के साथ-साथ कार्य के दौरान यदि किसी श्रमिक की कार्य स्थल पर मृत्यु होती है, या गंभीर क्षति पहुंचती है, तो उस स्थिति में सन्निर्माण कर्मकार अपने अधीन नियोजित श्रमिक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा।
10. ठेकेदार को श्रमिकों के नियमानुसार ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. के प्राविधानों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना होगा।
11. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।


  
 प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता  
 हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन  
प्रतिलिपि

/अधी०अभि०/एच०पी०डी०ए०/2024

दिनांक:

1. सचिव/वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण को निविदा प्रपत्र सॉफ्ट कॉपी में नियत तिथि से 02 दिन पूर्व अवर अभियन्ता-तकनीकी को उपलब्ध कराने हेतु।
4. सम्बन्धित को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
 प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता  
 हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण